न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 92/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/160

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.श्रीराम पुत्र मोड़ाराम 2.जोराराम पुत्र मोड़ाराम 3.रामाराम पुत्र महेन्द्रपालसिंह 4.रणछाराम पुत्र महेन्द्रपालसिंह 5.पुष्पा पुत्री महेन्द्रपालसिंह 6.राजो बेवा महेन्द्रपालसिंह 7.पुरखाराम पुत्र मोड़ाराम 8.दुर्गाराम पुत्र मोड़ाराम 9.हड़ुमानराम पुत्र मोड़ाराम जाति जाट निवासी भाड़ियावास तहसील पचपदरा		1.परियोजना निदेशक सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय उच्चमार्ग (भू तल परिवहन भारत सरकार) एन.एच.112 परियोजना कार्यान्वयन ईकाई जोधपुर–188 उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा जोधपुर 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री श्रवणकुमार चौघरी व श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित
3. विप्रार्थी संख्या 01 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 14.08.24

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भांड़िसावास तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्यस 453 रकबा 430.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। प्रार्थी संख्या 01 से 06 द्वारा मूल खसरान् भूमि में से 137.03 बीघा जरिए विक्रय–पत्र खरीद करने पर खसरान् संख्या 453/01 रकबा 137.03 बीघा कायम हुए। प्रार्थी संख्या 07 [illegible] भूमि जरिए विक्रय–पत्र खरीद करने पर नए खसरा संख्या 453/2 रकबा 137.03 बीघा [illegible] हुए। प्रार्थी संख्या 01 से 06 की खातेदारी भूमि में से जोधपुर–बालोतरा–बाड़मेर [illegible] संख्या 12 सड़क मार्ग निकलने पर भूमि 4.15 बीघा व प्रार्थी संख्या 07 से 09 की खा[illegible] भूमि में से 6.15 बीघा सड़क [illegible] हेतु कटाण हुए। सड़क मार्ग कटाण स्थिति के अनुसार ही तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:53 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विपरित सड़क मार्ग की तरमीम कर दी गई। जिसके कारण सड़क मार्ग के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि बिना खसरा नम्बर रह गई। जिसकी प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1056/453 व 1057/453 की लगती नेशनल हाईवे सड़क मार्ग की तरमीम परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरस्त करते हुए सड़क मार्ग की उतरी दिशा में शेष भूमि के खसरा नम्बर अंकन करते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1056/453 व 1057/453 का अभिन्न अंग मानते हुए प्रार्थीगण के नाम अंकन कर नक्शा लट्ठा ट्रेस में बट्टा नम्बर अंकित करते हुए तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किए जाने के बाद पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पत्रांक 2929/06.12.2022 के द्वारा जवाब पेश किया गया,जिसमें उल्लेखित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग–112 (नया 25) के निर्माण में ग्राम भांडियावास की खसरा संख्या 129,130,131,133,134,169,170,171,178,177 व 186 में से भूमि अवाप्ति की गई थी,उक्त खसरान के अतिरिक्त उक्त ग्राम में से किसी भी अन्य खसरों की भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

4.तहसीलदार पचपदरा द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया गया,जिसके अनुसार विवादित भूमि के मूल खसरा संख्या 453 के बट्टा (विभाजन) होने से खसरा संख्या 453 में से होकर निकल रहें राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 25 (जोधपुर–बालोतरा–बाड़मेर) की तरमीम गलत होना पाया गया। नक्शा लट्ठा ट्रेस में हो रखी तरमीम को मौके स्थिति से अलग होना पाया गया। खसरा संख्या 1057/453,1056/453 व 1549/453 के सहारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के खसरा संख्या 1059/453,1058/453 व 1054/453 हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के उतर की तरफ खसरा संख्या 1053/453 आया हुआ हैं। जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 1053/453 का रकबा 18.16 बीघा हैं, जबकि मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरमीम गलत होने से मौके पर उक्त रकबा 18.16 बीघा की बजाय 25.04 बीघा हैं,जो कि रेकर्ड से 6.08 बीघा अधिक हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तरमीम अशुद्ध होने के कारण शुद्ध किया जाना उचित बताया हैं। नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अनुसार खसरा संख्या 1057/453 में 3.04 बीघा व खसरा संख्या 1056/453 की तरमीम में 3.04 बीघा रकबा कम होना पाया हैं तथा विवादित भूमि की तरमीम परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरस्त करने की अभिशंषा की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:53 IST
Reason: SelfAttested

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम भांड़ियावास तह पचपदरा की मूल खसरा संख्या 453 रकबा 430.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। प्रार्थी संख्या 01 से 06 ने विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार से रकबा भूमि 137.03 बीघा खरीद करने पर खसरा संख्या 453/1 रकबा 137.03 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कायम हुए तथा प्रार्थी संख्या 7 से 9 द्वारा इसी खसरे में से रकबा 137.03 बीघा खरीद करने पर खसरा संख्या 453/2 रकबा 137.03 बीघा कायम हुए। प्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि में से जोधपुर–बालोतरा–बाड़मेर नेशनल हाईवे सड़क मार्ग हेतु रकबा 4.15 बीघा व प्रार्थी संख्या 7 से 9 की खातेदारी भूमि में से रकबा 6.15 बीघा कटान् होने पर सड़क मार्ग भूमि के खसरा संख्या 1059/453 रकबा 4.15 बीघा व खसरा संख्या 1058/453 रकबा 6.15 बीघा कायम हुए। प्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की खातेदारी भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 1057/453 रकबा 132.08 बीघा व प्रार्थीगण संख्या 7 से 9 की खातेदारी खसरा संख्या 1056/453 रकबा 130.05 बीघा हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से निकली नेशनल हाईवे सड़क मार्ग की तरमीम मौका–स्थिति के अनुसार की जाना चाहिए थी,लेकिन हल्का पटवारी ने इसके विपरीत तरमीम कर दी गई। गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण की भूमि सड़क मार्ग के उत्तरी दिशा में रकबा 6.08 बीघा भूमि बिना खसरा नम्बर कायम हुए रह गई,जबकि मौका स्थिति के अनुसार सड़क मार्ग की तरमीम किए जाने पर विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। तहसीलदार ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि में से अवाप्त सड़क मार्ग की तरमीम मौका स्थिति के विपरित होने के कारण प्रार्थीगण की भूमि उत्तरी दिशा में बिना खसरा नम्बर अवस्थित हैं। अतः मैं निवेदन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के सलंग्न परिशिष्ट 'अ' मुताबिक विवादित भूमि की तरमीम दुरस्ती की जावें।

6.विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता हैं,तो आपति नहीं हैं,क्योंकि ऐसा किए जाने से मौका एवं रेकर्ड स्थिति में एकरूपता आऐगी।

7.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार की की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1057/453 व प्रार्थी संख्या 7 से 9 की खातेदारी खसरा संख्या 1056/453 अवस्थित हैं। उक्त विवादित भूमि में ही सड़क मार्ग हेतु क्रमशः 4.15 व 6.15 बीघा भूमि कटान् हुई थी,जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1059/453 व 1058/453 हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि सड़क मार्ग की तरमीम मौका–स्थिति के विपरित लटठ्ा ट्रेस में तरमीम कर दिए जाने के कारण प्रार्थीगण की भूमि सड़क मार्ग के उतरी दिशा में बिना खसरा नम्बर कायम किए रह गई हैं,जो तरमीम दुरस्ती करते हुए बदिशा उतर में अवस्थित भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1057/453 व 1056/453 का अभिन्न अंग मानते हुए उत्तरी [illegible] में अवस्थित भूमि के खसरा नम्बर कायम कर तरमीम दुरस्ती की जावें। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में से सड़क मार्ग के लिए भूमि कटान हुई थी,जो कि सॉर्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में इन्द्राज हुई थी,उक्त तथ्यों की ताईद नामान्तकरण संख्या 274 व 262 अवलोकन से स्पष्ट है तथा भूमि कटान मुताबिक ही तत्समय लट्ढा नक्शा में तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन रेकर्ड में उसके विपरीत तरमीमी की गई,जिसके कारण प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हितो के साथ कुठराघात हुआ है। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया,जिसमें प्रार्थीगण द्वारा आवेदन–पत्र में चाहा गया वांछित अनुतोष के विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है तथा विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा ने भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि की तरमीम राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र को स्वीकार किए जाने पर उन्हे आपति नहीं है। रेकर्ड दुरस्ती किए जाने से मौका एवं रेकर्ड में एकरूपता रहेगी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है तथा प्रार्थीगण ने बखूबी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है।

8. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपने आवेदन–पत्र को स्वीकार करने में सफल रहा हैं। उक्त तथ्यों की ताईद तहसीलदार पचपदरा ने अपनी जांच–रिपोर्ट में स्वीकार किया हैं, कि विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–भांड़ियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1057/453 व 1056/453 की खातेदारी भूमि का अभिन्न अंग मानते हूए बदिशा उतर में लगती सड़क मार्ग के दूसरी तरफ अवस्थित भूमि का नया खसरान नम्बर कायम कर रकबा 6.08 बीधा दर्ज करते हुए विवादित आराजी की विदयमान तरमीम को निरस्त कर,प्रस्तावित नक्शानुसार परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व–रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.8.24 को मेरे–ए–इजलास सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा